

37/2008 श्यामल विन्दु



दिनांक आज्ञा पत्र

11-6-19 पत्रावली प्ररनुब वकील अपीलान्त/रिपो.समिति
 के अंतर्गत अधिकारी महादय भाज...
 के अंतर्गत पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक
 को पेश हो।
 9-9-19

9-9-19 पत्रावली प्ररनुब वकील अपीलान्त/रिपो.समिति
 के अंतर्गत अधिकारी महादय भाज...
 के अंतर्गत पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक
 को पेश हो।
 27-11-19

27-11-19 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त अपीलान्त उपर/रिपो.
 के अंतर्गत नोटिस जेश की पेश हो पर
 जारी है। तहत जा रिजार्ड करवा है। पत्राव
 दि. 29-1-20 को पेश है।

29-1-20

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
 आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रिपोर्टों के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
 कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रिपोर्टों के रजिस्टर्ड नोटिस
 पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
 नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
 से कम होकर बाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर. (के.ए. बुन्दुर्)

